



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-79

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 245642 दिनांक 29/08/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Prabha Jindal W/o Udairam Jindal	श्री उदय राम जिन्दल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद जिन्दल	168	213.15 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-A	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना पिताम्बरा के भूखण्ड सं. ए-168 क्षे. 213.15 व.मी. की संशोधित लीजडीड नीलामी के द्वारा श्री उदय राम जिन्दल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद जिन्दल को दिनांक 14.11.2014 को जारी की गई। श्री उदय राम जिन्दल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद जिन्दल की मृत्यु दिनांक 09.04.2021 को हो गई। उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के माध्यम से उनके वारिस श्री निकुन्ज जिन्दल पुत्र स्व0 श्री उदय राम जिन्दल एवं सुश्री संध्या जिन्दल पुत्री स्व0 श्री उदय राम जिन्दल द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्रीमती प्रभा
जिन्दल पत्नी
स्व० श्री उदय
राम जिन्दल को
दिनांक
26.07.2021 को
भूखण्ड के समस्त
अधिकार प्रदान
कर दिये गये।
आवेदनकर्ता
श्रीमती प्रभा
जिन्दल पत्नी
स्व० श्री उदय
राम जिन्दल
द्वारा उक्त
भूखण्ड का
नामहस्तानांतरण
हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Prabha Jindal W/o Udairam Jindal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।